

राज्य पोषित योजनायें:-

1. फल पौध रोपण योजना:-

प्रदेश की भूमि, जलवायु तथा सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर यह योजना प्रदेश में संचालित है। योजना में कृषकों को आम अमरूद, संतरा, मौसंबी, सीताफल, बेर, चीकू, एवं अंगूर, टिशु कल्चर पद्धति से उत्पादित अनार, स्ट्राबेरी एवं केला, संकर बीज से उत्पादित मुनगा एवं पपीता तथा बीज से उत्पादित नींबू के सामान्य दूरी उच्च एवं अति उच्च संघनता के ड्रिप सहित एवं ड्रिप रहित फल पौध रोपण पर कृषकों को इकाई लागत का 40 से 50 प्रतिशत अनुदान 60:20:20 के अनुपात में तीन वर्षों में देय है। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कृषक को 0.25 से 4.00 हेक्टेयर तक फल पौध रोपण पर अनुदान देय है।



विगत पाँच वर्षों की लक्ष्यपूर्ति निम्नानुसार है :-

(रकबा, हेक्टेयर, राशि लाख में)

क्र०	वर्ष	भौतिक लक्ष्य	भौतिक पूर्ति	आवंटन	व्यय	लाभान्वित हितग्राही
1	2014-15	16879	10298	2058.34	1721.35	14711
2	2015-16	11752	11649	1979.0	1708.52	14706
3	2016-17	4521	2295	2924.83	1745.0	2834
4	2017-18	3889.76	2800.9	3006.36	1366.60	3220
5	2018-19	14422.75	9333.72	2517.65	1439.42	11841

2. सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना:-

सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत उन्नत/संकर सब्जी फसल के लिये इकाई लागत का 50 प्रतिशत बीज वाली फसलों हेतु अधिकतम 10000/-रूपयें प्रति हेक्टेयर तथा सब्जी की कंदवाली फसल जैसे-आलू अरबी के लिये अधिकतम रूपयें 30,000/- प्रति हेक्टेयर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। योजना में एक कृषक को 0.25 हेक्टेर से लेकर 2 हेक्टेयर तक का लाभ दिया जा सकता है।



विगत पाँच वर्षों की लक्ष्यपूर्ति निम्नानुसार है :-

(रकबा, हेक्टेयर, राशि लाख में)

क्र	वर्ष	भौतिक लक्ष्य	भौतिक पूर्ति	आवंटन	व्यय	लाभान्वित हितग्राही
1	2014-15	14092	13002	2013.00	1941.18	23309
2	2015-16	14765	14691	2013.00	1932.73	29451
3	2016-17	11832	506	1693.20	482.13	4898
4	2017-18	7709.80	5888.16	2463	490.69	7634
5	2018-19	5720.71	3082.34	600.00	206.50	3693

3. मसाला क्षेत्र विस्तार योजना:-

प्रदेश में मसाला क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत कृषकों के लिये उन्नत/संकर मसाला फसल के क्षेत्र विस्तार के लिये इकाई लागत का 50 प्रतिशत, बीज वाली फसल हेतु अधिकतम रूपयें 10000/-प्रति हेक्टर तथा जड़ एवं कंद/प्रकंद वाली फसलों जैसे- हल्दी, अदरक, लहसुन के लिये अधिकतम रूपयें 50,000/- प्रति हेक्टर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। योजना में एक कृषक को 0.25 हेक्टर से लेकर 2 हेक्टर तक का लाभ दिया जा सकता है।



विगत पाँच वर्षों की लक्ष्यपूर्ति निम्नानुसार है :-

(रकबा, हेक्टेयर, राशि लाख में)

क्र०	वर्ष	भौतिक लक्ष्य	भौतिक पूर्ति	आवंटन	व्यय	लाभान्वित हितग्राही
1	2014-15	12370	12426	1847.0	1808.6	22787
2	2015-16	13890	13598	1847.00	1744.11	25957
3	2016-17	730	4170	1141.10	316.5	5627
4	2017-18	5836.70	2463.53	1783.04	347.82	3352
5	2018-19	4069.84	1421.19	600.00	194.99	2060

4. कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम:-

कृषकों को उद्यानिकी फसलों की खेती की नवीन तकनीक एवं उससे होने वाले लाभ से अवगत कराने हेतु कृषकों को राज्य के अन्दर तथा राज्य के बाहर भ्रमण करा कर प्रशिक्षित कराया जाता है।



क्र	नाम घटक	वित्तीय मापदण्ड
1.	राज्य के अन्दर कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण	रु. 1000/- प्रति कृषक प्रति दिवस (अधिकतम 7 दिवस)
2.	राज्य के बाहर कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण	रु. 1500/- प्रति कृषक प्रति दिवस
3.	राज्य के बाहर प्रभावन (Exposure) दौरा, नवीन तकनीक अवलोकन हेतु (नवीन घटक)	रु. 1500/- प्रति कृषक प्रति दिवस

विगत पाँच वर्षों की लक्ष्यपूर्ति निम्नानुसार है :-

(रकबा, हेक्टेयर, राशि लाख में)

क्र	वर्ष	भौतिक लक्ष्य	भौतिक पूर्ति	आवंटन	व्यय	लाभान्वित हितग्राही
1	2014-15	19340	20987	517.00	369.87	20987
2	2015-16	47893	35226	481.00	419.56	35226
3	2016-17	12937	10354	495.960	470.070	10354
4	2017-18	31315	27413	522.63	495.07	27413
5	2018-19	26428	20572	328.50	258.71	20572

5. प्रदर्शनी मेला एवं प्रचार प्रसार:-

योजनान्तर्गत विभागीय योजनाओं एवं फल, फूल, सब्जी एवं मसाला वाली फसलों की तकनीक की जानकारी कृषकों तक पहुँचाने हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शनी एवं सेमिनार आयोजित कर योजनओं का प्रचार-प्रसार किया जाता है।



विगत पाँच वर्षों की लक्ष्यपूर्ति निम्नानुसार है :-

(रकबा, हेक्टेयर, राशि लाख में)

क्र	वर्ष	भौतिक लक्ष्य	भौतिक पूर्ति	आवंटन	व्यय	लाभान्वित हितग्राही
1	2014-15	2950	2686	171.73	168.98	27350
2	2015-16	2060	1588	206.00	169.05	77922
3	2016-17	2268	1992	232.780	211.44	66172
4	2017-18	1074	1074	279.00	238.18	52616
5	2018-19	1000	632	215.01	54.24	9327

6. व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना:-

योजनान्तर्गत ग्रीन हाऊस, शेडनेट, लो-टनल एवं प्लास्टिक मल्टिप्लिंग, पक्षी/ओला रोधी जाली तथा पॉली हाऊस/शेडनेट हाऊस में उगाई गई सब्जियाँ एवं फूलों पर इकाई लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन की गाइड लाईन में निर्धारित घटकवार अनुदान देय है।



विगत पाँच वर्षों की लक्ष्यपूर्ति निम्नानुसार है :-

(रकबा, हेक्टेयर, राशि लाख में)

क्र	वर्ष	भौतिक लक्ष्य	भौतिक पूर्ति	आवंटन	व्यय	लाभान्वित हितग्राही
1	2014-15	2008	1584	05.0	351.5	1715
2	2015-16	13002	11829	3308.0	2235.42	14057
3	2016-17	494	222	2646.67	2623.97	335
4	2017-18	1577.32	855.45	1930.12	1717.94	903
5	2018-19	1972.72	959.46	1932.49	1305.02	921

7. उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना:-

कृषक जो आधुनिक यंत्रों का उपयोग उद्यानिकी फसलों में करना चाहते हैं, उन्हें ऐसे यंत्रों पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम निम्नानुसार अनुदान देय है:-



क्र.	उद्यानिकी मशीनरी	अधिकतम अनुदान (राशि रुपये में)
1	पोट्टो प्लांटर/डिगर के लिए	30000.00
2	गार्लिक/ओनिओन, प्लांटर/डिगर	30000.00
3	ट्रेक्टर माउण्टेड एग्रेब्लास्ट स्प्रेयर के लिए	75000.00
4	पावर आपरेटेड प्रुनिंग मशीन के लिए-	20000.00
5	फागिंग मशीन के लिए	10000.00
6	मल्व लेईंग मशीन	30000.00
7	पावर टिलर के लिए-	75000.00
8	पावर वीडर के लिए	50000.00
9	ट्रेक्टर विथ रेटावेटर	150000.00
10	ओनियन/गार्लिक मार्कर	500.00
11	पोस्ट होल्ड डिगर	50000.00
12	ट्री प्रुनर	45000.00
13	प्लांट हेज ट्रिमर	35000.00
14	मिस्ट ब्लोअर	30000.00
15	पावर स्प्रे पंप	25000.00

विगत पाँच वर्षों की लक्ष्यपूर्ति निम्नानुसार है :-

(रकबा, हेक्टेयर, राशि लाख में)

क्र	वर्ष	भौतिक लक्ष्य	भौतिक पूर्ति	आवंटन	व्यय	लाभान्वित हितग्राही
1	2014-15	1220	585	500.00	412.82	585
2	2015-16	737	698	435.00	366.37	698
3	2016-17	1007	687	728.000	632.48	687
4	2017-18	1619	1136	880.52	368.76	1136
5	2018-19	1869	1327	946.52	617.22	1326

8. औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार

योजना:-

योजना के तहत कृषक को स्वेच्छा से क्षेत्र के अनुकूल औषधीय एवं सुगंधित फसल के क्षेत्र विस्तार हेतु फसलवार 20 से 75 प्रतिशत तक का अनुदान देय है। प्रत्येक कृषक को योजनांतर्गत हेतु 0.25 हेक्टर से 2 हेक्टेयर तक लाभ देने का प्रावधान है। फसलवार अनुदान विवरण निम्नानुसार है :-



क्र.	फसल का नाम	लागत मानदण्ड प्रति हे.(रुपयों में)	अनुदान पात्रता (प्रतिशत में)	अनुदान राशि (रुपये में)
1	आवंला	65000	20%	13000
2	अश्वगंधा	25000	20%	5000
3	बेल	40000	50%	20000
4	कोलियस	43000	20%	8600
5	गुडमार	25000	20%	5000
6	कालमेघ	25000	20%	5000
7	सफेद मुसली	312500	20%	62500
8	सर्पगंधा	62500	50%	31250
9	शतावर	62500	20%	12500
10	तुलसी	30000	20%	6000

विगत पाँच वर्षों की लक्ष्यपूर्ति निम्नानुसार है :-

(रकबा, हेक्टेयर, राशि लाख में)

क्र	वर्ष	भौतिक लक्ष्य	भौतिक पूर्ति	आवंटन	व्यय	लाभान्वित हितग्राही
1	2014-15	676	205	100.00	94.90	348
2	2015-16	368	361	100.00	9.92	786
3	2016-17	489	391	80.0	77.81	911
4	2017-18	54	18.75	100.0	47.17	57
5	2018-19	409.84	267.35	100.79	52.77	392

9. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की प्रोत्साहन योजना :-

प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का बढ़ावा दिये जाने हेतु "मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विशेष सहायता" उपलब्ध कराने का प्रावधान स्वीकृत किया गया है जिससे इस क्षेत्र के उद्यमी प्रदेश में उत्पादित खाद्यान को प्रदेश में ही प्रसंस्करण कर कृषकों को उनके उत्पादन का समुचित मूल्य दिला सकेंगे। इससे नवीन निवेदश के साथ-साथ प्रदेश में रोजगार के अवसर भी निर्मित होंगे।



विगत पाँच वर्षों की लक्ष्यपूर्ति निम्नानुसार है :-

(रकबा, हेक्टेयर, राशि लाख में)

क्र	वर्ष	आवंटन	व्यय	स्थापित ईकाई
1	2014-15	2480.00	1160.00	27
2	2015-16	2480.00	482.00	7
3	2016-17	1500.00	1500.00	44
4	2017-18	5600.00	4870.00	121
5	2018-19	3000.00	3000.00	55

10. घरेलू बागवानी की आदर्श योजना:-

राज्य शासन की प्राथमिकता के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लघु/सीमांत किसानों एवं खेतिहर मजदूरों को इस योजना के अंतर्गत उनकी बाड़ी हेतु स्थानीय कृषि जलवायु के आधार पर प्रति हितग्राही संख्या को रू. 75/- के सब्जी बीजों के पैकेट निःशुल्क वितरित किये जाते हैं ।



विगत पाँच वर्षों की लक्ष्यपूर्ति निम्नानुसार है :-

(रकबा, हेक्टेयर, राशि लाख में)

क्र	वर्ष	भौतिक लक्ष्य	भौतिक पूर्ति	आवंटन	व्यय	लाभान्वित हितग्राही
1	2014-15	939881	939881	704.94	704.94	939881
2	2015-16	1066619	1010053	800.00	797.61	1010053
3	2016-17	458707	438908	344.30	333.25	438908
4	2017-18	308592	308592	257.16	199.77	308592
5	2018-19	308172	308172	231.13	214.84	308172

11. उद्यानिकी प्रशिक्षण:-

योजनांतर्गत संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के अधीन पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई नई तकनीक के विषय में जानकारी से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण एवं रिफ्रेसर कोर्स आयोजित किये जाते हैं तथा राज्य के बाहर विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है।



विगत पाँच वर्षों की लक्ष्यपूर्ति निम्नानुसार है :-

(रकबा, हेक्टेयर, राशि लाख में)

क्र०	वर्ष	भौतिक लक्ष्य	भौतिक पूर्ति	आवंटन	व्यय	लाभान्वित हितग्राही
1	2014-15	560	445	219.30	151.76	445
2	2015-16	2200	906	185.00	183.55	906
3	2016-17	1000	376	118.74	118.67	376
4	2017-18	1000	485	130.95	88.80	485
5	2018-19	1050	630	150.00	21.97	630